संख्या–वे0आ0–2– 1982 /दस–54(एम) 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उ0प्र0, शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 22 नवम्बर, 2011

विषयः वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति द्वारा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–5) में दी गयी संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिया गया है :–

(1) उद्यान शाखा, शोध शाखा तथा प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत उपलब्ध वर्ग–3 के पदों की वर्तमान व्यवस्था यथावत् बनाये रखते हुए उच्चीकृत/संशोधित ग्रेड वेतन रू0 2400/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(2) जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड–2 के पदों पर वर्तमान में विद्यमान भर्ती की व्यवस्था (50 प्रतिशत सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से तथा 50 प्रतिशत अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 के पदों से पदोन्नति द्वारा) के स्थान पर इन पदों को शत–प्रतिशत अधीनस्थ सेवा वर्ग–1 के पदों से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित करते हुए वेतनमान रू0 7500–12000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(3) विभाग में शोध शाखा के अन्तर्गत विद्यमान शोध अधिकारी (पान) के एकल पद पर वेतनमान रू0 7500–12000 के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–2 रू0 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन रू0 4800/– तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(4) जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड–1 के पदों पर सीधी भर्ती हेतु वर्तमान में निर्धारित अर्हता स्नातक (कृषि/विज्ञान) के स्थान पर कृषि/विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि निर्धारित की जाय।

(5) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अनुदेशक(फल संरक्षण एवं डिब्बा बन्दी) के पदों पर अनुमन्य कराये गये उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पर दिनांक 30 मई 2003 से अनुदेशक (बेकरी/पाककला) के पदों पर उच्चीकृत वेतनमान रू0 5500–9000 अनुमन्य कराये जाने का औचित्य पाते हुए इस विषय पर वित्त विभाग की सहमति से अलग से निर्णय कराया जाय।

(6) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जायें।

(7) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखें जायें।

कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव

संख्या–वे0आ0–2– 1982 (1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1।
2– कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
3– निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।